न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 05/17 ई.सी.एक्ट अपील

श्रवणराम पुत्र दुलाराम जाट निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ व जिला बीकानेर

—अपीलान्ट

: ब ना म :

जिला रसद अधिकारी, बीकानेर

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित उपस्थित।
2. जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

: निर्णय :

दिनांक 06.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा यह **अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976** के तहत रेस्पोडेन्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 25.04.17 को अपीलान्ट का प्राधिकार—पत्र निरस्त किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है।

2. अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को तलब किया गया एवं उनके न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलान्ट अधिवक्ता ने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने हेतु कभी नहीं बुलाया। अपीलान्ट को बिना सुने पीठ—पीछे आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हरखाराम, कुणनाराम, सहीराम, तारूराम के बयानात लेने के बारे में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। जबकि उपरोक्त व्यक्तियों के बयान नहीं लिये गये व ना ही रेकर्ड देखा। रिपोर्ट एक पक्षीय है। अपील अपीलार्थी नकल प्राप्ति के अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.4.17 निरस्त फरया जाकर अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

4. इसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट के विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि रसद कार्यालय द्वारा पारित आदेश उचित एंव वैध है। डीलर से माह जुलाई,2013 से दिसम्बर,2013 तक का राशन वितरण रेकर्ड मांगने पर NFSA APL परिवरों का किसी भी माह का गेहूं वितरण रेकर्ड उपलब्ध नहीं करवाया। बीपीएल, एसबीपीएल एवं अत्योद्य परिवारों हेतु भी केवल माह दिसम्बर,2013 का गेहूं वितरण रेकर्ड उपलब्ध करवाया गया, शेष का रेकर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। कैरोसीन तेल वितरण में गंभीर अनियमित्ताऐं पाई गई। अनियमित्ताओं को मध्ये नजर रखते हुए माननीय न्यायालय खाद्य आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 18.7.16 के अनुसरण में उचित मूल्य दुकनदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर मामले की जांच की गई। जांच के दौरान पाई गई अनियमित्ताओं के कारण से उचित मूल्य दुकनदार का प्राधिकार—पत्र निरस्त करने का निर्णय सही लिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर, बीकानेर

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया। क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में जुलाई,2013 से दिसम्बर,2013 तक का गेहूं वितरण रेकर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जाना तथा केरोसीन तेल वितरण में गम्भीर अनियमित्ता पाई जाना उचित मूल्य दुकनदार की बदनियति परिलक्षित होती है। दौराने बहस भी अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई प्रमाणिक साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो सके कि उचित मूल्य दुकनदार द्वारा कोई अनियमित्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाने के कारण इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का **आदेश दिनांक 25.04.17 को** यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के साथ जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को लौटाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक **06.01.2020** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर (राज.)